अध्याय-III
अनुपालन लेखापरीक्षा

अध्याय–III
अनुपालन लेखापरीक्षा

नगर विकास एवं आवास विभाग

3.1 नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत पटना में सीवरेज अवसंरचना का विकास

3.1.1 परिचय

गंगा, अपनी कई सहायक नदियों के साथ, सहस्र वर्षों से भारतीय सभ्यता के भौतिक और आध्यात्मिक पोषण का स्रोत रही है और इसके परिणामस्वरूप, उसकी निर्मलता राष्ट्रीय चिंता का प्रमुख विषय है। अव्यवस्थित नगरीकरण और निरंतर औद्योगिक विकास के साथ गंगा घाटी क्षेत्र में बढ़ती जनसंख्या ने गंगा नदी की जल गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। बिहार में प्रदूषण के प्राथमिक स्रोत गंगा नदी के तट पर स्थित शहरों से वाहित मल घरेलू अपशिष्ट जल का आना हैं। परिणामतः, इसका पानी पीने और नहाने के लिए उपयुक्त नहीं है। पटना बिहार की राजधानी है और कोलकाता के बाद पूर्वी भारत का दूसरा सबसे बड़ा शहरी केंद्र है। शहर जो तीनों तरफ से नदियों की एक बहुत लंबी सीमा रेखा से घिरी हुई है वह नदियाँ हैं– गंगा, सोन और पुनपुन।

पटना नगर की जल निकासी व्यवस्था लगभग 200 साल पहले बनी थी और आज बुरी स्थिति में है। इस प्रणाली में प्राकृतिक और मानव निर्मित नालों का वर्गीकरण शामिल है जो अंततः सतही अपवाह और सीवरेज को गंगा और पुनपुन नदी में बहा देते हैं। पटना नगर की सीवरेज प्रणाली आंशिक रूप से पटना नगर निगम (प.न.नि.) के 20 प्रतिशत क्षेत्र में आच्छादित है। नगर के नागरिकों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपचार और निष्कासन प्रणाली के साथ बचे हुए क्षेत्र में एक नया सीवरेज का जाल बिछाए जाने की आवश्यकता है।

बिहार में गंगा जल के प्रदूषण के मुख्य संकेतक टोटल कोलीफॉर्म (टी.सी.) और फीकल कोलीफॉर्म (एफ.सी.) हैं।

बिहार में मल निकास के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण 2016–17 में अधिकतम टी.सी. और एफ.सी.[152] जो क्रमशः 9000 एम.पी.एन.[153] / 100 एम.एल. और 3100 एम.पी.एन. / 100 एम.एल. के स्तर तक मापा गया था, बढ़कर 2019–20 में 160000 एम.पी.एन. / 100 एम.एल. (टी.सी. और एफ.सी. दोनों के लिए) हो गया था। यह इस अवधि के दौरान पानी की गुणवत्ता में क्रमिक गिरावट को दर्शाता है।

3.1.2 सरकार की पहल

गंगा कार्य योजना (जी.ए.पी.) का गठन (अप्रैल 1985) भारत सरकार द्वारा गंगा नदी में प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से किया गया था। गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने और संरक्षण के लिए व्यापक योजना और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) का फिर से गठन किया गया (फरवरी 2009)। भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है (नवंबर 2008) और नमामि गंगे कार्यक्रम (मई

---

[152] *टोटल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का समूह है जो अपशिष्ट जल/औद्योगिक निर्वहन, कृषि अपवाह और अन्य मानवजनित कारकों के कारण दूषित होने के लिए पानी की भेद्यता का संकेत देता है। सूक्ष्म जैविक जल गुणवत्ता को परिभाषित करने के लिए फेकल–कोलीफॉर्म का उपयोग संकेतक के रूप में किया जाता है।*

[153] *अधिकतम संभावित संख्या।*

2015) प्रारंभ किया गया जिसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एन.एम.सी.जी.) द्वारा लागू किया। निर्मल और अविरल धारा की दूरदर्शिता "नमामि गंगे" मिशन के तहत नगरपालिका के सीवरेज का प्रबंधन, ग्रामीण सीवरेज का प्रबंधन, औद्योगिक निर्वहन पर नियंत्रण और सभी सहायक नदियों सहित गंगा नदी के कायाकल्प के लिए अन्य प्रस्तावित योजनाओं को सुनिश्चित करके प्राप्त किया जाना है। यह सभी चल रही योजनाओं के साथ–साथ नई योजनाओं के लिए एक छत्र कार्यक्रम है। नमामि गंगे के तहत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां मौजूदा एस.टी.पी. का विस्तार, नए एस.टी.पी. का निर्माण, ग्राम पंचायतों के लिए पूर्ण स्वच्छता प्रसार, मॉडल श्मशान/धोबी घाटों का विकास, एक आई.टी. आधारित निगरानी केंद्र का निर्माण है। परिणामस्वरूप, गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकार के आदेश (2016), गंगा नदी के कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन के लिए अधिसूचित किया गया था। बिहार के लिए स्वीकृत परियोजनाओं और उनके विरूद्ध व्यय **तालिका संख्या 3.1.1** में दर्शाया गया है:

तालिका संख्या– 3.1.1
परियोजनाओं पर दिसंबर 2020 तक स्वीकृत लागत और व्यय

(₹ करोड़ में)

गतिविधियाँ	परियोजना की संख्या	कुल स्वीकृत लागत	31 दिसंबर 2020 तक कुल व्यय
सीवरेज का बुनियादी अवसंरचना	30	5487.76	1349.04[154]
घाट/श्मशान घाट	10	103.14	55.47
नदी के किनारे का विकास	01	336.73	308.52
जैव उपचार	02	3.16	1.06
वनीकरण	05	92.33	55.50
कुल	**48**	**6023.12**	**1769.59**

(स्रोतः एन.एम.सी.जी. के साईट पर उपलब्ध मासिक प्रगति प्रतिवेदन)

संस्थागत व्यवस्था

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी है और कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रमुख जिम्मेदारी इनकी ही थी। बिहार राज्य के लिए राज्य गंगा कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन समिति राज्य स्तर पर सर्वोच्च नीति और निर्णय लेने वाली संरचना है। एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम प्रबंधन समूह (पी.एम.जी.) राष्ट्रीय स्तर पर एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। राज्य स्तर पर, बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण और कार्यक्रम प्रबंधन सोसायटी (बी.जी.सी.एम.एस.) शहरी विकास और आवास विभाग (न.वि. एवं आ. वि.), बिहार सरकार, के तहत जिम्मेदार है। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का निष्पादन कार्यकारी एजेंसी अर्थात बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम (बुडको) द्वारा किया जा रहा है, जो व्यवहार्यता प्रतिवेदन और विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.), सहयोग और समन्वय, कार्यों और सामानों की खरीद, अनुबंध प्रबंधन, कार्यक्रम निधि प्रबंधन आदि सुविधाओं के निर्माण/प्रतिष्ठापन के लिए भी जिम्मेदार है। गंगा–नमामि गंगे नदी के कायाकल्प के कार्यान्वयन के लिए वर्तमान संगठनात्मक ढांचा ***परिशिष्ट–3.1.1*** में दर्शाया गया है।

[154] *इसमें से ₹1167.04 करोड़ (86 प्रतिशत) पटना में सीवरेज बुनियादी ढांचे परियोजना पर व्यय किया गया।*

3.1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

कार्यक्रम के तहत पटना में सीवरेज के बुनियादी ढांचे के विकास के विशिष्ट पहलुओं का आकलन करने के लिए और इस उद्देश्य के लिए लेखापरीक्षा आयोजित (दिसंबर 2020 से फरवरी 2021) किया गया था कि:

- सीवरेज विस्तार के विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी योजना थी,
- परियोजनाओं का कार्यान्वयन एक कुशल, आर्थिक और प्रभावी तरीके से किया गया था;
- वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के तहत निधियों का उपयोग एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम ढांचे के दिशानिर्देशों के अनुपालन में किया गया था।

3.1.4 लेखापरीक्षा मानदंड

निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदंड का उपयोग किया गया था: –

- केंद्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित भारत सरकार/बिहार सरकार द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कार्यालय ज्ञापन और दिशा–निर्देश।
- एन.जी.आर.बी.ए. के ई.सी./ई.एस.सी. का कार्यवृत्त और उसका कार्यक्रम की रूपरेखा। केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (सी.पी.एच.ई.ई.ओ.) नियमावली, गंगा नदी (कायाकल्प, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 ।

3.1.5 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है **(तालिका संख्या–3.1.1)**, सीवरेज का बुनियादी अवसंरचना की स्वीकृत लागत, कुल स्वीकृत परियोजना लागत (अर्थात ₹6023.12 करोड़) का 91 प्रतिशत (अर्थात ₹ 5487.76 करोड़) है और विभिन्न परियोजनाओं पर किए गए कुल व्यय का 76 प्रतिशत व्यय किया गया है। सीवरेज का बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं **(तालिका संख्या–3.1.3)** पर ₹ 1167.04 करोड़ (दिसंबर 2020) (अर्थात 86 प्रतिशत) का व्यय केवल पटना में किया गया था। इसलिए, व्यय को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा ने 2016–20 के दौरान पटना में चार[155] एस.टी.पी. (कुल छह एस.टी.पी. में से) और सभी पांच[156] सीवरेज विस्तार (707.50 किमी) को शामिल किया।

कार्यप्रणाली में सीवरेज का बुनियादी अवसंरचना परियोजना (नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत) जैसा कि राज्य गंगा समिति (एस.जी.सी.) यानि, बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण और कार्यक्रम प्रबंधन सोसायटी (बी.जी.सी.एम.एस.), बिहार अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (बुडको) के साथ–साथ बिहार राज्य–प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बी.रा.प्र.नि.बो.) और जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार से संबंधित अभिलेखो की जाँच शामिल है। तीन कार्यों[157] का भौतिक सत्यापन भी किया गया।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्न कंडिकाओं में दिए गए हैं।

---

[155] *बेउर एस.टी.पी., सैदपुर एस.टी.पी., पहाड़ी एस.टी.पी. और करमलीचक एस.टी.पी.*

[156] *बेउर सीवरेज विस्तार (179.74 कि.मी.), सैदपुर आसन्न विस्तार, सैदपुर सीवरेज तंत्र सहित (227.60 कि.मी.), पहाड़ी जोन IV। सीवरेज तंत्र (87.69 कि.मी.), पहाड़ी जोन –V सीवरेज तंत्र (115.93 कि.मी.) और करमलीचक सीवरेज तंत्र (96.54 कि.मी.)।*

[157] *सैदपुर एस.टी.पी. एवं संबद्ध नेटवर्क, करमलीचक एस.टी.पी. तथा करमलीचक नेटवर्क।*

3.1.6 योजना

राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एन.जी.आर.बी.ए.) ने 5 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित अपनी पहली बैठक में यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि 2020 तक कोई भी निरूपित/अनिरूपित नगरपालिका सीवरेज या औद्योगिक अपशिष्ट गंगा नदी में नहीं छोड़ा जाएगा।

पटना में सीवरेज के निरूपण के लिए, केवल 350 एम.एल.डी.[158] (मिलियन लीटर प्रति दिन) की क्षमता वाले एन.एम.सी.जी. द्वारा कुल छह एस.टी.पी. स्वीकृत (जुलाई 2014 से अगस्त 2017) किए गए थे। हालांकि, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (बी.एस.पी.सी.बी.) ने पटना में 19 नालों की पहचान (2020) की थी, जिसमें 628.505 एम.एल.डी. (गंगा नदी में 566.505 एम.एल.डी. और इसकी सहायक पुनपुन नदी में 62 एम.एल.डी.) का निर्वहन होता है। कुछ नाले बहुत बड़े हैं तथा वे गंगा और पुनपुन में भारी सीवरेज का निर्वहन करते हैं, जिसे नीचे दिए गए चित्रों से देखा जा सकता है:

राजापुर नाला

महेन्द्रूघाट, पटना

बांसघाट नाला

अंटाघाट नाला

गंगा नदी में खुल रहे बड़े नाले

आगे, यह भी देखा गया कि सीवरेज निकासी का निर्धारण वास्तविक निकासी (हालाँकि सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मैनुअल के तहत आवश्यक) पर आधारित नहीं था, बल्कि यह नगरों की अनुमानित आबादी पर आधारित था। इस प्रकार, पटना में एस.टी.पी. की वर्तमान स्वीकृत क्षमता के साथ, पटना में वर्तमान सीवरेज निकासी का भी निरूपण करना संभव नहीं था।

[158] *बेउर –43 एम.एल.डी., करमलीचक– 37 एम.एल.डी., पहाड़ी –60 एम.एल.डी., सैदपुर –60 एम.एल.डी., कंकरबाग– 50 एम.एल.डी. और दीघा –100 एम.एल.डी.।*

3.1.7 योजनाओं का क्रियान्वयन

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, पटना में कुल छह एस.टी.पी. और पांच सीवरेज नेटवर्क का निर्माण किया जाना था (जुलाई 2014 से अगस्त 2017 के दौरान एन.जी. आर.बी.ए. की अधिकार प्राप्त संचालन समिति की बैठकों में संबंधित निर्णय लिए गए थे)। इन कुल 11 कार्यों में से नौ कार्यों को मई 2021 तक पूरा किया जाना था। हालांकि, संबंधित अभिलेखों से पता चला कि इन नौ कार्यों में से केवल चार, जुलाई 2021 तक पूर्ण किए गए थे और शेष पाँच कार्यों में प्रगति 53 से 93 प्रतिशत के बीच थी ***(परिशिष्ट–3.1.2)***।

अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला कि मेसर्स वी.ए. टेक वबाग लिमिटेड, चेन्नई को तीन काम (यानी संबंधित सीवरेज तंत्र के साथ पहाड़ी, दीघा और कंकड़बाग में एस.टी.पी.) और पहाड़ी एस.टी.पी. को छोड़कर आवंटित किए गए थे (जहाँ दिसम्बर 2020 तक 73 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका था) शेष दो कार्यों[159] में प्रगति नगण्य थी। कार्यापालन एजेंसी यानि बुडको ने आज तक (दिसंबर 2020) इस संबंध में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी।

कार्यों के पूर्ण न होने का मुख्य कारण भूमि की अनुपलब्धता, संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लम्बित होना, अपर्याप्त आवास संयोजन आदि था। लेखापरीक्षा के दौरान देखे गए विशिष्ट संबंधित मुद्दों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की जा रही है।

3.1.7.1 कार्य का अविवेकपूर्ण प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति आवंटन के कारण अतिरिक्त व्यय

पहाड़ी एस.टी.पी., पटना के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि एन.एम.सी.जी. ने प्रशासनिक अनुमोदन तथा व्यय स्वीकृति प्रदान की थी (मई 2017) जिसमें यह परिकल्पना की गई थी कि राज्य सरकार को कार्य प्रदान करने से पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। पुनः खंड 1.1 (ई) के अनुसार एस.टी.पी. के डिजाइन और निर्माण के लिए निविदादाताओं को निर्देश (आई.टी.बी.) के अनुसार, बुडको इस सुविधा के लिए आवंटित क्षेत्र तक एस.टी.पी. और सभी अनुलग्न संरचनाओं के लिए भूमि क्षेत्र उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा, खंड 3.3 (अ) यह निर्धारित करता है कि निविदादाता अपनी पसंद की तकनीक के आधार पर एस.टी.पी. की पेशकश करने के लिए स्वतंत्र होगा और अपनी निविदा में उनके द्वारा प्रस्तावित निष्पादन सुविधा स्थापित करने के लिए वास्तविक भूमि आवश्यकता को इंगित करेगा। खंड 3.3 (सी) में यह भी कहा गया है कि एस.टी.पी., सड़कों, नालियों और अन्य अनुलग्न संरचनाओं के लिए आवश्यक भूमि निविदादाता द्वारा इंगित की जाएगी और निविदा डेटा शीट में निर्दिष्ट भूमि मूल्य के आधार पर निर्धारित भूमि की आवश्यकता की लागत को जोड़ा जाएगा, न्यूनतम मूल्यांकित पर्याप्त रूप से उत्तरदायी निविदा लगाने वाले के मूल्यांकन के लिए निविदा मूल्य। खंड 5.6 (डी) में कहा गया है कि मालिक (यानि बुडको) सबसे कम मूल्यांकित बोलियों को निर्धारित करने के लिए सभी पर्याप्त रूप से उत्तरदायी निविदाओं के मूल्यांकित मूल्यों की तुलना करेगा।

उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में, एस.टी.पी. के लिए कुल छह निविदादाताओं (जिन्हें अंतिम रूप से वित्तीय मूल्यांकन के लिए चुना था) जिसमें से दो सबसे कम निविदादाताओं से संबंधित निविदा दस्तावेज **तालिका संख्या 3.1.2** में विस्तृत रूप से दिया गया है ।

[159] *दिसंबर 2019 में आवंटन किया गया।*

तालिका संख्या 3.1.2
मूल्य का अलग–अलग विवरण

(₹ करोड़ में)

	मेसर्स वी.ए. टेक वबाग लिमिटेड, चेन्नई।	जेवी इंडिया लिमिटेड में मेसर्स यूईएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।
डिजाइन निर्माण मूल्य	84.20	68.50
एनपीवी के साथ ओ एंड एम मूल्य	29.93	33.51
कुल (भूमि के बिना)	**114.13**	**102.01**
जमीन की कीमत	35.59	49.12
कुल (भूमि के साथ)	**149.72**	**151.13**

कम दर (भूमि के साथ) के आधार पर, मेसर्स वी.ए. टेक डब्ल्यू.ए.बी.ए.जी. लिमिटेड, चेन्नई को निविदा आवंटित (अप्रैल 2018) की गई थी। हालांकि, निविदा दस्तावेजों के आगे के विश्लेषण से पता चला कि मेसर्स वी.ए. टेक डब्ल्यू.ए.बी.ए.जी. लिमिटेड ने एस.टी.पी. के लिए आवश्यक 9600 वर्ग मीटर क्षेत्र के लिए 35.59 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया था, जबकि मेसर्स यूई.एम. इंडिया प्रा. लिमिटेड जे.वी. ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड में ₹49.12 करोड़ की कीमत के 13250 वर्ग मीटर क्षेत्र का प्रस्ताव दिया।

यहाँ, यह बताना उचित होगा कि एस.टी.पी. साइट पर 29400 वर्ग मीटर भूमि पहले से ही बुडको के पास उपलब्ध थी। इसलिए, यदि निविदा को खंड 5.6 (डी) के तहत उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में अंतिम रूप दिया गया था, बुडको को सबसे कम मूल्यांकित निविदाओं को निर्धारित करने के लिए सभी निविदाओं के मूल्यांकित मूल्यों की तुलना करनी चाहिए, ताकि कम निविदा मूल्य का चयन (अर्थात ₹102.01 करोड़ एम./एस. यूईएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जेवी ईगल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड में) कर ₹12.12 करोड़ की अतिरिक्त लागत बचायी जा सके। चयनित एजेंसी को दिसंबर 2020 तक ₹44.97 करोड़ का भुगतान किया गया था।

3.1.7.2 लाइन विभागों से लंबित एन.ओ.सी. और सीवरेज पंपिंग स्टेशनों (एस.पी.एस.)[160] के लिए भूमि की अनुपलब्धता

एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम रूपरेखा के अनुसार, राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के सफल और समय पर पूरा करने के लिए विभिन्न विभागों, एजेंसियों या प्राधिकरणों से सभी आवश्यक मंजूरी कार्यपालन एजेंसी (यानि बुडको) को प्रदान की जाये।

लेखापरीक्षा ने देखा (2020) कि एनओसी के संबंध में राज्य सरकार के गैर–जिम्मेदार रवैये के कारण, सभी पाँच नमूना–जाँच किए गए सीवरेज तंत्र परियोजनाओं के मामले में, 366.07 किलोमीटर के लिए कुल आवश्यक एन.ओ.सी. में से, 107.97 किलोमीटर के लिए एनओसी अभी भी (फरवरी 2021) संबंधित विभागों से प्रतीक्षित ***(परिशिष्ट–3.1.3)*** थी। जिसके परिणामस्वरूप[161] इन कार्यों को पूर्ण करने में विलम्ब हुआ आगे, संबंधित विभागों से इसकी अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित विभिन्न स्थानों पर एस.पी.एस. के लिए भूमि की पहचान में देरी देखी गई जिससे सीवरेज के निर्माण में और देरी हुई।

---

[160] *प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृत जो सीवरेज अवसंरचना के समुचित कार्य के लिए आवश्यक है*

[161] *कौमाखोह (करमलीचक सीवरेज नेटवर्क) में एस.पी.एस. – संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि एस.पी.एस. की प्रस्तावित साइट पर अतिक्रमण किया गया था और काम शुरू नहीं किया गया था। एग्जिबिशन रोड, पीरमुहानी, कदमकुआं और अरफाबाद। (सैदपुर सीवरेज नेटवर्क), आर.एम.आर.आई. में एस.पी.एस.–ए और मेहंदीगंज में एस.पी.एस.–बी।*

3.1.7.3 सीवरेज के साथ घर संयोजन की अपर्याप्त संख्या

एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क के अनुसार, नेटवर्क वाले क्षेत्र में सभी अपशिष्ट जल के प्रवाह के लिए सीवरेज के साथ सभी आवासीय/वाणिज्यिक/अन्य प्रतिष्ठानों के संयोजन सुनिश्चित किए जाने चाहिए ताकि इसे अवरोधित किया जा सके और निरूपण प्रणालियों तक पहुंचाया जा सके। इस योजना के प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय स्वीकृति में यह भी परिकल्पना की गई थी कि अंतिम मील संयोजन यानि घरों को मैनहोल से जोड़ना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा सीवरेज पर व्यय निष्फल हो जाएगा।

अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2020–फरवरी 2021) से पता चला कि नमूना–जाँच की गई छह परियोजनाओं[162] के तहत अनुबंध में गृह संयोजन घटक शामिल नहीं था। प्रारंभ में यह निर्णय लिया गया (अगस्त 2017) कि मकान का संयोजन गृहस्वामी स्वयं करवाएं। हालांकि, एस.पी.एम.जी. ने पाया कि मकान मालिक द्वारा संतोषजनक रूप से कार्य नहीं किया गया। अंत में सीवरेज अवसंरचना योजनाओं के संबंधित ठेकेदारों से मकान का संयोजन कराने का निर्णय (मार्च 2019) लिया गया। तद्नुसार, उक्त नेटवर्किंग योजनाओं के लिए घरों को मैनहोल से जोड़ने के लिए अनुपूरक अनुबंध (जून–जुलाई 2019) निष्पादित[163] किए गए थे। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि घरेलू संयोजन केवल चार से 28 प्रतिशत (दिसंबर 2020) के बीच किए गए थे। यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उक्त योजनाओं के पूरा होने की नियत तिथि मई 2021 को समाप्त हो गई है। इस प्रकार, ठेकेदार द्वारा घर संयोजन सुनिश्चित करने के निर्णय में देरी ने कार्यक्रम की समग्र उपलब्धि को प्रभावित किया।

3.1.7.4 कार्य का उप–मानक निष्पादन

एन.जी.आर.बी.ए. फ्रेमवर्क के अनुसार, सभी अनुबंधों के पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने के लिए कार्यकारी एजेंसी जिम्मेदार होगी। सभी सिविल और मैकेनिकल कार्यों के निवेश के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास के अनुसार व्यापक ऑन–साइट प्रणाली पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। यदि आवश्यक हो, कार्यकारी एजेंसी प्रभावी निर्माण पर्यवेक्षण के लिए कार्यकारी एजेंसी में किसी भी क्षमता अंतराल को दूर करने के लिए पर्यवेक्षण सलाहकारों की अधिप्राप्ति और प्रबंधन कर सकते हैं।

तीसरे पक्ष के निरीक्षण (टी.पी.आई.) के लिए, आई.आई.टी., पटना को नवंबर 2018 में नियुक्त किया गया था, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं में कार्यों के उप–मानक निष्पादन का अवलोकन किया गया था। एस.टी.पी., बेउर के भौतिक सत्यापन (25.01.2021) के दौरान, यह देखा गया कि निम्नलिखित कमियों को ठीक नहीं किया गया था, हालांकि इसे टी.पी.आई. रिपोर्ट के तहत भी देखा गया था:

- एस.टी.पी. भवन का निर्माण (ठेकेदार द्वारा 10 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव के अंतर्गत किया गया) खराब था और निर्माण के एक वर्ष के भीतर कई स्थानों पर दरारें देखी गईं, जो निर्माण की खराब गुणवत्ता का संकेत देती हैं।

---

[162] *बेउर, करमलीचक, पहाड़ी जोन आईवीए दक्षिण, पहाड़ी जोन वी और सैदपुर सीवरेज अवसंरचना योजनाएं, सैदपुर एसटीपी और आसपास के नेटवर्क*

[163] *सैदपुर (25.06.2019/53600 नंबर), सैदपुर से सटे (21.06.2019/21360 नंबर), करमलीचक (26.06.2019/381668 नंबर), बेउर (20.07.2019/37400 नंबर), पहाड़ी जोन IV ए (19.06) 2019/21300 नंबर) और पहाड़ी जोन V (18.06.2019 ६ 41849 नंबर)*

- स्टिलिंग बेसिन, ग्रिट चेंबर और सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर (एस.बी.आर.) टैंक में कई स्थानों पर रिसाव पाए गए।

बेउर एस.टी.पी. में नमी

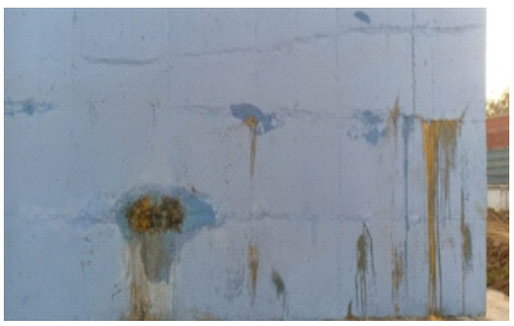

बेउर एस.टी.पी. में नमी और दरार

एस.बी.आर. के सामने कंक्रीट सड़क का एक बड़ा हिस्सा सड़क निर्माण से पहले मिट्टी के अनुचित संघनन के कारण क्षतिग्रस्त पाया गया था।

संबंधित पत्राचार एवं टी.पी.आई. रिपोर्ट से यह भी पता चला कि एस.टी.पी., पहाड़ी के निष्पादित कार्य की गुणवत्ता भी संतोषजनक नहीं थी। इसके अलावा, टी.पी.आई. रिपोर्ट (दिसंबर 2020) के आलोक में, बी.जी.सी.एम.एस. ने ठेकेदार को कई अनुस्मारक दिए। एस.टी.पी., पहाड़ी की साइट पर तकनीकी प्रभारी द्वारा अनुरक्षित साइट ऑर्डर बुक में यह भी दर्ज किया गया कि कार्य की प्रगति और गुणवत्ता बहुत खराब थी और कई निर्देश जारी करने के बाद भी एजेंसी द्वारा सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित नहीं किया गया था।

3.1.7.5 निष्फल व्यय

- ***निरूपित पानी की गुणवत्ता अनिर्मित सीवरेज से ह्रासित हुई***

बेउर में नए एस.टी.पी. के निर्माण और इसके संचालन और रख–रखाव (ओ. एंड एम.) के लिए एक अनुबंध बुडको और मेसर्स वोल्टास एंड जी.ए.ए. (जे.वी.) के बीच निष्पादित (मार्च 2017) किया गया था। अनुबंध के अनुसार, एस.टी.पी. के वार्षिक ओ. एण्ड एम. प्रभार (अर्थात ₹200.91 लाख + जी.एस.टी./12 प्रतिशत) का भुगतान किया जाना था।

एसटीपी का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया था (मई 2020) और इसका संचालन स्वीकृति प्रमाण पत्र बूडको द्वारा अगस्त 2020 में जारी किया गया था। इसके अलावा, अनुबंध के अनुसार, अगस्त 2020 से फरवरी 2021 की अवधि के दौरान ठेकेदार को ओ. एंड एम. शुल्क के रूप में ₹82.17 लाख के दावे का भुगतान (मई 2021) किया गया था।

पुनः एन.एम.सी.जी. की एक साइट सत्यापन रिपोर्ट (जनवरी 2021) में कहा गया है कि अगले लिफ्टिंग स्टेशन तक प्रवाह लाइन (निरूपित पानी का बहिर्वाह) में लगभग 6/7 मैनहोल थे जिन्हें पटना नगर निगम या अन्य स्थानीय लोगों द्वारा अनिरूपित अनिर्मित सीवरेज को चैनलाइज करने के लिए पंचर किया गया था। सीवरेज पूछे जाने पर, कार्यपालक अभियन्ता, बुडको, पाटलिपुत्र डिवीजन ने कहा कि अनिर्मित सीवरेज का प्रवाह आस–पास के घरों से था। उन्होंने पुनः कहा कि मेसर्स एल. एंड टी. द्वारा सीवरेज नेटवर्किंग योजना पूरी होने के बाद इसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।

यह सीवरेज नेटवर्क के पूरा होने से पहले ओ. एंड एम. के लिए अनुबंध करना बुडको के पूर्व–परिपक्व निर्णय को दर्शाता है।

इस प्रकार, ₹82.17 लाख का भुगतान किये जाने के बावजूद निरूपित जल की गुणवत्ता से समझौता किया गया और निरूपण का पूरा उद्देश्य अंततः विफल हो गया।

- ***निरूपित जल के उपयोग के लिए डी.पी.आर. तैयार करना***

गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण अधिसूचना आदेश (2016) 6(1) और 6(2) में प्रावधान है कि गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए (i) कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों या उसके किनारों में कोई अनिरूपित या निरूपित सीवरेज या सीवरेज कीचड़ निर्वाह नहीं करेगा और (ii) कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी अनिरूपित या निरूपित व्यापार अपशिष्ट और औद्योगिक अपशिष्ट, जैव चिकित्सा अपशिष्ट, या गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों में या उनके तट पर अन्य खतरनाक पदार्थ निर्वाह नहीं करेगा।

लोक वित्त समिति ने कृषि प्रयोजन के लिए पटना में पाँच[164] एस.टी.पी. से निरूपित बहिःस्राव जल के सर्वोत्तम उपयोग के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार करने का निर्णय लिया (दिसंबर 2017)। कार्य परामर्शदाता (मैसर्स समर्थ इंफ्रा टेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) को ₹1.05 करोड़ की लागत से कार्य आवटित किया गया (नवंबर 2017)। तदनुसार, परामर्शदाता और जल संसाधन विभाग (डब्ल्यू.आर.डी.) के बीच एक अनुबंध (जनवरी 2018) किया गया था और सलाहकार को छह महीने (जुलाई 2018) की निर्धारित पूर्णता अवधि के साथ कार्य आदेश जारी किया गया था (जनवरी 2018)। बाद में, डब्ल्यू.आर.डी. द्वारा दीघा एस.टी.पी. को भी कार्य के दायरे में शामिल करने का निर्णय (दिसंबर 2017) लिया गया। तदनुसार, परामर्शदाता ने दीघा एस.टी.पी. (फरवरी 2018) के अतिरिक्त कार्य के लिए ₹42.00 लाख का प्रस्ताव प्रस्तुत किया (फरवरी 2018) और इस अतिरिक्त कार्य के लिए ₹42.00 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति और व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई (मार्च 2018)।

परामर्शदाता ने "मुख्य रूप से प्राकृतिक नाली और मौजूदा नहर प्रणाली के माध्यम से आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके सिंचाई के उद्देश्य के लिए प्रस्तावित एस.टी.पी. से अपशिष्ट निरूपित पानी का सर्वोत्तम उपयोग" के लिए कुल परियोजना लागत ₹307.81 करोड़ के साथ अंतिम परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की (अप्रैल 2019)। डी.पी.आर. तैयार करने के लिए सलाहकार को ₹1.47 करोड़ (मार्च 2018 से अगस्त 2019) का भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पुनः देखा (फरवरी 2021) कि विकास आयुक्त, बिहार ने एक बैठक (सितंबर 2020) में संकल्प लिया कि एस.टी.पी. से निरूपित पानी के पुनः उपयोग पर आगे की कार्रवाई नगर विकास और आवास विभाग (न.वि. एवं आ.वि.) द्वारा की जाएगी। तदनुसार, बुडको को नौ एस.टी.पी. के संबंध में निरूपित पानी के पुनः उपयोग के लिए डी.पी.आर. तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं को नियुक्त करने हेतु निर्देशित (अक्टूबर 2020) किया गया था और इसके लिए पाँच[165] परामर्शदाताओं के साथ अनुबंध किया गया था। तथापि, इन नौ[166] एस.टी.पी. में चार[167] एस.टी.पी. सहित जिनके लिए डी.पी.आर. पहले ही डब्ल्यू. आर.डी. द्वारा तैयार (अप्रैल 2019) किया गया था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, इन छह एस.टी.पी. पर डी.पी.आर. तैयार करने के लिए डब्ल्यू.आर.डी. द्वारा किया गया ₹1.47 करोड़ का व्यय निष्फल हो गया।

---

[164] *बेउर, करमलीचक, सैदपुर, पहाड़ी और कंकड़बाग।*

[165] *ग्रीन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा। लिमिटेड (बेउर, सैदपुर), बीएलजी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रा। लिमिटेड (करमलीचक, पहाड़ी), ब्लू स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रा। लिमिटेड (मोकामा ग्रुप–5), श्याम डिजाइनर्स एंड कंस्ट्रक्शन प्रा। लिमिटेड (मोकामा ग्रुप –6 और सुल्तानगंज) और समर्थ इंफ्राटेक सर्विसेज प्रा। (नौगछिया और सोनपुर)।*

[166] *बेउर, सैदपुर, करमलीचक, पहाड़ी, मोकामा ग्रुप–5, मोकामा ग्रुप–6, सुल्तानगंज, नौगछिया और सोनपुर।*

[167] *बेउर, करमलीचक, पहाड़ी और सैदपुर*

- ***आरसीडी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र की वापसी***

सैदपुर सीवरेज योजना के तहत बजरंगपुरी कालोनी व उससे सटे इलाके में नेटवर्किंग का काम चल रहा था. स्वीकृत डिजाइन के अनुसार, उक्त नेटवर्क को एक मुख्य ट्रंक लाइन से जोड़ा जाना था जो कि गायघाट रोड से होकर अंबेडकर कॉलोनी में एस.पी.एस. और अंततः एस.टी.पी., सैदपुर तक जानी थी। गायघाट सड़क के माध्यम से मुख्य ट्रंक लाइन बिछाने के लिए सड़क निर्माण विभाग (स.नि.वि.) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) की आवश्यकता थी। यह देखा गया कि योजना के प्रारंभ (जनवरी 2018) से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र सुनिश्चित नहीं किया गया था। हालांकि, यह जनवरी 2020 में आरसीडी द्वारा उपलब्ध कराया।

इस बीच, (स.नि.वि.) ने यह वर्णित कहते हुए एन.ओ.सी. वापस ले ली (फरवरी 2020) कि महात्मा गाँधी सेतु के समानांतर एक पुल के निर्माण को स्वीकृति दे दी गई है। यदि कुम्हरार रोड और गायघाट रोड में सीवर पाइप लाइन बिछाई जाती है, तो प्रस्तावित पुल के निर्माण के दौरान इसे नष्ट कर दिया जाएगा। इस प्रकार, मुख्य ट्रंक लाइन बिछाने के बिना, बजरंगपुरी कॉलोनी और आस–पास के क्षेत्र में 4.6 किमी पार्श्व लाइनों का निर्मित नेटवर्क एस.पी.एस. के माध्यम से 800 घरों से एस.टी.पी. तक 1.5 एम.एल.डी. सीवरेज ले जाने के लिए बाधित रहेगा और गंगा नदी में छोड़ा जाना जारी रहेगा। इस प्रकार, 800 घरों से 1.5 एम.एल.डी. सीवरेज के निरूपण के उद्देश्यों को विफल करने के अलावा उक्त नेटवर्किंग में किए गए ₹ 8.10 करोड़ का व्यय निष्फल होना था।

3.1.8 वित्तीय परिव्यय

पटना में सीवरेज बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण और दिसंबर 2020 तक उस पर होने वाले खर्च को **तालिका संख्या 3.1.3** में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका संख्या 3.1.3
परियोजनावार स्वीकृत लागत एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	स्वीकृत परियोजना लागत	लागत	कार्य का प्रतिशत	कुल खर्च
1	बेउर एस.टी.पी.	68.16	77.85	100	51.37
2	बेउर सीवरेज नेटवर्क	225.77	398.90	74	256.66
3	करमलीचक एस.टी.पी.	77.04	73.61	100	50.60
4	करमलीचक सीवरेज नेटवर्क	277.42	253.98	62	116.77
5	सैदपुर एस.टी.पी. और संबद्ध का नेटवर्क	184.93	184.93	96	155.45
6	सैदपुर सीवरेज नेटवर्क	268.63	431.21	64	255.79
7	पहाड़ी एस.टी.पी.	191.62	147.65	70	44.97
8	पहाड़ी सीवरेज तंत्र जोन IVA	184.86	167.80	88	152.76
9	पहाड़ी सीवरेज तंत्र जोन V	356.37	364.90	43	81.96
10	कंकड़बाग एस.टी.पी. और सीवरेज नेटवर्क	578.89	1187.86	0	0.29
11	दीघा एस.टी.पी. और सीवरेज नेटवर्क	824.00		1	0.42
	कुल	**3237.69**	**3288.69**		**1167.04**

(स्रोतः एन.एम.सी.जी. की दिसंबर 2020 की प्रगति रिपोर्ट)

इसके अलावा एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम अवसंरचना के अनुसार, पी.एम.जी. सहमत वार्षिक कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए अर्ध–वार्षिक आधार पर एस.पी.एम.जी. को धन हस्तांतरित करता है। पी.एम.जी. को प्रत्येक एस.पी.एम.जी. को दूसरी छमाही किस्त तभी जारी करनी होती है जब (i) एस.पी.एम.जी. ने पिछले वित्तीय वर्ष की अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पी.एम.जी. को प्रस्तुत की हो और (ii) रिपोर्टिंग वर्ष की पहली किस्त के उचित उपयोग पर। पी.एम.जी. से किश्त मिलने के दो महीने के भीतर सरकार एस.पी.एम.जी. को अपना हिस्सा जारी कर देगी।

लेखापरीक्षा ने पाया (नवम्बर 2020) कि 2016–17 से 2019–20 की अवधि के दौरान केवल 16 से 50 प्रतिशत निधियों का उपयोग किया गया, कार्यों की प्रगति भी बहुत खराब थी और स्वीकृत लागत के विरूद्ध दिसम्बर 2020 तक केवल 35.48 प्रतिशत वित्तीय प्रगति प्राप्त की गई थी। कंकड़बाग और दीघा एस.टी.पी. और सीवरेज के मामले में वित्तीय प्रगति नगण्य थी जो कार्य निष्पादन में खराब प्रदर्शन को दर्शाती है। पुनः, एन.एम.सी.जी. ने पिछली किश्तों के उपयोग को सुनिश्चित किए बिना अगली किश्तों के लिए जारी की गई धनराशि के परिणामस्वरूप ₹683.10 करोड़ (सितंबर 2019) का बड़ा फंड बी.जी.सी.एम.एस. के बचत बैंक खाते में जमा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप फंड बेकार पड़ा रहा।

3.1.9 निगरानी

गंगा नदी (पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन) प्राधिकरण आदेश, 2016 के पैरा 24.3 (ए) में परिकल्पना की गई है कि राज्य गंगा समिति नदी में प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के उद्देश्य से गतिविधियों के समन्वय, कार्यान्वयन और विनियमन के लिए जिम्मेदार होगी ताकि गंगा की जल गुणवत्ता बनी रहें और संबंधित राज्य में नदी पारिस्थितिकी और प्रबंधन के लिए प्रासंगिक ऐसे अन्य उपाय किए जा सके।

एन.जी.आर.बी.ए. अवसंरचना में परिकल्पना की गई थी कि सभी अनुबंधों के पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने के लिए कार्यपालन एजेंसी यानी बुडको जिम्मेदार होगी। सभी सिविल और मैकेनिकल कार्यों के निवेश के लिए अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम अभ्यास के अनुसार व्यापक ऑन–साइट निर्माण पर्यवेक्षण की आवश्यकता होगी। आगे, यह प्रदान किया गया है कि एस.पी.एम.जी. समय पर प्रगति, कार्यों की गुणवत्ता और उचित प्रलेखन सहित एन.जी.आर.बी.ए. कार्यक्रम के तहत बुनियादी अवसंरचना के निवेश के निष्पादन की निगरानी के लिए स्वतंत्र/तृतीय–पक्ष निरीक्षण (टी.पी.आई.) परामर्शदाताओं की नियुक्ति करेगा।

एस.पी.एम.जी. द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण की कमी के परिणामस्वरूप सीवरेज अवसंरचना के कार्यों के लिए विभिन्न विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र लम्बित/वापस लेने के संबंध में अपर्याप्त अंतर–विभागीय समन्वय हुआ। पुनः, हालाँकि एस.टी.पी., बेउर और करमलीचक को पूरा कर लिया गया था, उनके सीवरेज अवसंरचना को पूरा नहीं किया जा सका, जिससे एस.टी.पी. का उपयोग नहीं हुआ और व्यर्थ व्यय हुआ। जल संसाधन विभाग द्वारा निरूपित जल के पुनः उपयोग के लिए डी.पी.आर. तैयार करने पर पर्याप्त व्यय करने के बाद, इसे फिर से बुडको को आवंटित किया गया था, जो अभी तक पूरा नहीं हुआ था।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि टी.पी.आई. सलाहकार नमूना–जाँच की गई योजनाओं के अनुबंध की तिथि से छह से 19 महीने के विलम्ब से लगा हुआ था। परिणामस्वरूप, इन योजनाओं का तीन से 72 प्रतिशत कार्य बिना टी.पी.आई. के पूर्ण हो गया। सिविल और मैकेनिकल कार्यों का पर्यवेक्षण उचित नहीं था जिसके परिणामस्वरूप कार्यों की

गुणवत्ता खराब हुई क्योंकि टी.पी.आई. ने अपनी रिपोर्ट में कई कमियों को उजागर किया था।

3.1.10 निष्कर्ष

पटना शहर के सीवरेज निरूपण के लिए अपर्याप्त योजना थी क्योंकि एस.टी.पी. की स्वीकृत क्षमता कुल वर्तमान सीवरेज निकासी का आधा ही निर्वहन करने में सक्षम थी। आगे, विभिन्न परियोजनाओं के निष्पादन में एजेंसियों द्वारा धीमी प्रगति, एस.पी.एस. के लिए भूमि की पहचान न होने, सीवरेज की अपशिष्ट लाइन को पंचर करने आदि के कारण असामान्य रूप से देरी हुई। कार्य के अविवेकपूर्ण आवंटन से संबंधित मुद्दे थे जिसके कारण अतिरिक्त व्यय, विभिन्न विभागों/प्राधिकारियों से कार्य निष्पादन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में देरी, सीवरेज के साथ अपर्याप्त घर संयोजन आदि। आगे, निरूपित पानी के पुनः उपयोग के लिए कोई योजना तैयार नहीं की गई है क्योंकि पानी के पुनः उपयोग के लिए डी.पी.आर. की तैयारी अभी भी प्रगति पर है। कार्यों की गुणवत्ता उप–मानक पाई गई और मूल धनराशि बैंक खातों में जमा कर दी गई। बुडको कार्यों को पूरा करने के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन करने में विफल रहा, क्योंकि सीवरेज के साथ कोई एस.टी.पी. आज तक पूरा नहीं हुआ और गंगा और उसकी सहायक नदियों में सीवरेज का निर्वहन वांछित के रूप में पटना में नहीं रोका जा सका। कार्यों के निष्पादन में समय पर पूर्णता सुनिश्चित करने के साथ–साथ उचित गुणवत्ता बनाए रखने के संबंध में निगरानी तंत्र अपर्याप्त था।

मामले की सूचना (फरवरी 2021) विभाग को दी गई थी। उनकी टिप्पणी/जवाब अभी तक (सितंबर 2021)अप्राप्त है।

स्वास्थ्य विभाग

3.2 निष्फल व्यय

अनुपयुक्त योजना के कारण 455.45 एम.टी. डी.डी.टी. एवं 313.83 एम.टी. एस.पी. की खरीद से संबंधित उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका और परिणाम स्वरूप ₹11.12 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 12 यह अनुबंधित करता है कि प्रत्येक नियंत्री अधिकारी को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि विभागीय संघटन में सुव्यवस्थित भीतरी पड़तालों के लिए पर्याप्त उपबंध विद्यमान है ताकि अधीनस्थ पदाधिकारियों की वित्तीय कार्रवाईयों में त्रुटियों और अनियमितताओं को रोका और पता लगाया जा सके तथा लोक–धन और भण्डार के अपव्यय और हानि से रक्षा की जा सके और यह सुनिश्चित करे कि विहित पड़ताल कारगर रूप से की जाती है।

कार्यालय, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (अ.मु.चि.पदा.) मुजफ्फरपुर के अभिलेखों की लेखा परीक्षा (जुलाई 2019) एवं सात[168] जिलों के साथ–साथ राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी (रा.का.पदा.), वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (वे.ज.रो.नि.का.), बिहार, पटना में डायक्लोरो–डाईफेनाईल–ट्राइक्लोरोइथेन (डी.डी.टी.) और सिंथेटिक पाइरेथेराइड (एस.पी.) के छिड़काव से वेक्टरजनित रोग पर अंकुश लगाने संबंधित सूचनाएँ एकत्र किए गए जहाँ अवमानक एसपी सहित तिथिवाद डी.डी.टी. एवं एस.पी. के मामले पाये गये।

[168] *बेगुसराय, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, खगड़िया, पटना और सहरसा*

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (जि.का.पदा.) वे.ज.रो.नि.का., मुजफ्फरपुर के भंडार में कुल 130.51 एम.टी. डी.डी.टी. उपलब्ध (अगस्त 2015) था, जिनमें से प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार (मार्च 2016) 40 एम.टी. एवं 27.35 एम.टी. क्रमशः जिला मलेरिया कार्यालय, बेगुसराय एवं दरभंगा को भेजा गया एवं शेष 63.16 एम.टी. डी.डी.टी. तिथिवाद (बैंचों में दिसंबर 2015 से जनवरी 2017 के दौरान) हो गया। इसके अलावा उपरोक्त सात जिला मलेरिया कार्यालयों से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण से पता चला कि समान परिस्थिति में 58.65 एम.टी. डी.डी.टी. तिथिवाद हो गया था।

आगे, संवीक्षा ने उजागर किया कि जि.का.पदा. मुजफ्फरपुर ने 130.514 एम.टी. डी.डी.टी. अनुपयोगित पड़े रहने एवं तिथिवाद हो जाने की सूचना (जुन 2015) रा0का0पदा0 को दे दी थी।

इंगित किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2021) कि निदेशक, रा.वे.ज.रो.नि.का. के निदेशों पर जून–जुलाई 2015 के दौरान सात[169] प्रभावित जिलों में अनुपयोगित पड़े डी.डी.टी. के उपयोग के स्थान पर एसपी से छिड़काव करने का निर्देश दिया गया था। बाद में, प्रथम चरण (मार्च से मई 2016) में एस.पी. से छिड़काव क्षेत्र को बढ़ाकर 15 जिलों में तथा 2016 में दूसरे चरण में कालाजार प्रभावित सभी 33 जिलों में कर दिया गया था।

जि.का.पदा., पटना से एकत्रित सूचना (नवंबर 2020) से ज्ञात हुआ कि ₹8.22 करोड़ मूल्य का 455.45 एम.टी. तिथिवाद डी.डी.टी. (दिसंबर 2015 से जनवरी 2017) राज्य के गोदाम में पड़ा था।

यह इंगित करता था कि रा.का.पदा. ने डी.डी.टी. छिड़काव/उपयोग कार्य की न तो उचित योजना बनाई और न ही कार्यान्वित किया जिसके परिणामस्वरूप जिलों के साथ–साथ राज्य स्तर पर ₹8.22 करोड़[170] मूल्य का 455.45 एम.टी. डी.डी.टी. तिथिवाद हो जाने के कारण लोक धन की हानि हुई।

पुनः, रा.वे.ज.रो.नि.का. (अगस्त 2018) द्वारा एसपी के कुछ बैंचों की अवमानक गुणवत्ता की जानकारी दिए जाने पर रा.का.पदा., मुजफ्फरपुर ने कालाजार रोकथाम योजना के लिए सिंथेटिक पाइरेथ्राइड (एस.पी.) के छिड़काव को रोक (अगस्त 2018) दिया था। उस समय उनके भंडार में कुल 22.65 एम.टी. एस.पी. उपलब्ध था जो तिथिवाद हो गया (नवंबर 2018 से जुलाई 2019 के दौरान)। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यालय, नई दिल्ली ने भी कुछ अवमानक एसपी के बैचों की पहचान की थी तथा इस आलोक में रा.का.पदा., बिहार, पटना ने ए.पी. छिड़काव को पूर्णतः रोकने का निर्णय लिया (जुलाई 2018)। हाँलांकि उपरोक्त सात जिलों में संबंधित अभिलेखों की जाँच से पता चला कि कुल मिलाकर 163.05 एम.टी. अवमानक एस.पी. एवं 128.13 एम.टी. एस.पी. तिथिवाद हुआ (फरवरी 2017 से अगस्त 2019 के दौरान)।

अवमानक एस.पी. के प्रयोग के संबंध में इंगित किए जाने पर संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार ने उत्तर दिया (मार्च 2021) कि एस.पी. क्रय का कार्य एवं वितरण पूर्व गुणवत्ता जाँच कार्य रा.वे.ज.रो.नि.का. नई दिल्ली द्वारा किया गया था तथा इस कार्य हेतु राज्य द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई थी।

---

[169] *अररिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, सारण, सीतामढ़ी एवं वैशाली।*

[170] *455.45 मैट्रिक टन डी.डी.टी. की लागत* = 455.45 x ₹*180449/एम.टी.* = ₹*8.22 करोड*

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि जिला पहले से ही वेक्टर जनित रोगों यथा कालाजार, मलेरिया आदि से ग्रस्त था एवं जिम्मेदार प्राधिकारी ने एसपी की गुणवत्ता सुनिश्चित किए बगैर अवमानक एसपी का छिड़काव कर नागरिकों को रोगों के प्रति असुरक्षित बनाया।

इंगित किए जाने पर अन्य सात जिलों के जि.का.पदा. ने बताया (जनवरी–फरवरी 2020) कि डी.डी.टी. के स्थान पर एस.पी. का छिड़काव करने एवं एसपी का प्रयोग बंद करने का कार्य रा.का.पदा. के निर्देश पर किया गया था।

उत्तर स्वयं डी.डी.टी. के उपयोग (तिथिवाद होने से पहले) एवं एस.पी. के उपयोग तथा छिड़काव पूर्व गुणवत्ता जाँच सुनिश्चित करने में विफलता के संबंध में अनुचित योजना को दर्शाता था।

इस प्रकार रा.का.पदा., वे.ज.रो.नि.का., पटना सहित संबंधित जिलों के जि.का.पदा./अ.मु.चि.पदा. की अनुचित योजना के कारण 455.45 एम.टी. डी.डी.टी. तथा 313.83 एम.टी. एस.पी. की अधिप्राप्ति पर ₹11.12 करोड़ के व्यय के बावजूद अभीष्ट उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका एवं इससे सरकार को हानि हुई।

पथ निर्माण विभाग

3.3 राजकोष पर अतिरिक्त भार

प्राक्कलन तैयार करने में आई.आर.सी. के प्रावधानों का पालन न करने और ठेकेदार/स्थानीय निवासियों द्वारा बताए अनुसार तटबंध की ऊंचाई बढ़ाने के लिए उचित निर्णय लेने में असमर्थता के परिणामस्वरूप ₹5.60 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

सर्वेक्षण, जाँच और सड़क परियोजनाओं की तैयारी के लिए नियमावली यह निर्धारित करती है कि मौजूदा[171] सड़क में सुधार या नई सुविधाओं के निर्माण वाली परियोजना मौजूदा सड़क की स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए, एक सड़क सूची तैयार करना और स्थिति सर्वेक्षण करना आवश्यक है। उच्च बाढ़ स्तर (एच.एफ.एल.) का निर्धारण एक सड़क की ग्रेड लाइन को नियंत्रित करता है और इसलिए किसी भी गलती को ठीक करने के लिए सड़क के आस–पास के हिस्सों या नजदीकी रेलवे/सिंचाई तटबंधों के साथ तुलना की जानी चाहिए। इस पहलू की किसी भी उपेक्षा से अनावश्यक व्यय हो सकता है, क्योंकि बाद की तारीख में संरेखण को फिर से काफी अतिरिक्त लागत पर सुधारना पड़ सकता है।

कार्यपालक अभियंता, सड़क प्रमंडल, लखीसराय के अभिलेखों की नमूना–जाँच (मार्च 2020) से पता चला कि सड़क निर्माण विभाग, बिहार (आर.सी.डी.) ने कमरपुर–भनपुर रोड के रास्ते घाटकुसुंभा से दरौक मोड़ के निर्माण/सुधार कार्य हेतु तकनीकी अनुमोदन और प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया (अक्टूबर और नवंबर 2014)। कार्यपालक अभियंता, लखीसराय ने कार्य को पूर्ण करने के लिए (दिसम्बर 2016) ठेकेदार[172] के साथ ₹42.44 करोड़ का अनुबंध किया (अप्रैल 2015)। मुख्य अभियंता, आर.सी.डी., दक्षिण बिहार (संचार) विंग, पटना (सी.ई.) ने उपरोक्त सड़क में तटबंध के निर्माण के लिए 1.14 लाख घन मीटर के मिट्टी के प्रावधान के साथ 44.05 करोड़ के लिए तकनीकी स्वीकृति (जून 2015) दी।

[171] मूल्य ₹2.90 करोड़ (313.83 x ₹92600 प्रति मैट्रिक टन)

[172] आई.आर.सी.–*SP19-2001 .(14.1,14.4, 15.1.3 एवं 15.2)*

आगे यह देखा गया कि कार्य के निष्पादन के दौरान, ठेकेदार ने अधीक्षण अभियंता, सड़क अंचल, मुंगेर को सूचित किया था (फरवरी 2016) कि जी.एस.बी. (1.58 लाख घन मीटर) सहित मिट्टी के काम की अनुमानित मात्रा आवश्यक मात्रा (3.27 लाख घन मीटर) से कम थी। भौगोलिक स्थिति को देखते हुए जहां जल भराव की ऊंचाई तीन मीटर से लेकर 3.5 मीटर तक थी। ठेकेदार ने यह भी उल्लेख किया कि कार्य शुरू होने के बाद, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता ने आस–पास के अन्य सड़क संभागों द्वारा निर्मित पूर्व कार्यात्मक पी.डब्ल्यू.डी. सड़क को देखते हुए सड़क की ऊंचाई बढ़ाने के मौखिक आदेश दिए थे. उन्होंने यह भी कहा कि 10 महीने बीत जाने के बाद भी, विभागीय अधिकारियों से इस तरह के किसी भी निर्णय को सूचित नहीं किया गया था।

चल रहे सड़क कार्य को बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त कर दिया गया (जुलाई 2016) और मंडल द्वारा तैयार (जून 2017) बाढ़ क्षति रिपोर्ट से पता चला कि 1.13 लाख घन मीटर का मिट्टी का काम और 8160.6 एम3 का ग्रेनुलर सब बेस (जी.एस.बी.) जिसका मूल्य ₹5. 60 करोड़ था, क्षतिग्रस्त हो गया था। रिपोर्ट में कार्यपालक अभियंता ने स्वीकार किया कि स्थानीय निवासियों ने भी कई बार तटबंध के निम्न स्तर के बारे में बताया। आरसीडी ने रेलवे के एच.एफ.एल. की तुलना में नए तैयार सड़क स्तर पर विचार करते हुए ₹54.73 करोड़ पर काम के लिए टी.एस. को संशोधित (अप्रैल 2018) किया जिसमें 3.29 लाख एम 3 के मिट्टी के काम का प्रावधान शामिल था। तथापि, कार्य संशोधित अनुमान के आलोक में पूर्ण (जुलाई 2018) किया गया था।

इस प्रकार, सड़क के अनुमान की तैयारी में आई.आर.सी. के प्रावधानों का पालन न करने के परिणामस्वरूप राज्य के खजाने पर ₹5.60 करोड़ (***परिशिष्ट–3.2***) का अतिरिक्त भार पड़ा।

इंगित किए जाने पर, अधीक्षण अभियंता ने स्वीकार किया (मार्च 2020) कि व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के दौरान और डी.पी.आर. से पहले ऐसा सर्वेक्षण नहीं किया गया था। हालांकि, निष्पादन के दौरान, यह देखा गया कि तटबंध की ऊंचाई कम थी। इसके अलावा, संशोधित अनुमान में बाढ़ क्षति रिपोर्ट पर विधिवत विचार किया गया था और रेलवे के अनुसार नया एच.एफ.एल. तय किया गया था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2021)। जवाब अप्राप्त है (सितंबर 2021)।

पथ निर्माण विभाग

3.4 परिहार्य व्यय

सड़क निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्मित सड़क के हिस्से पर सुदृढ़ीकरण कार्य के निष्पादन से ₹6.85 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

भारतीय सड़क कांग्रेस निर्देशिका[173] में कहा गया है कि पथ को डिजाइन करते समय, सड़क को एक निश्चित[174] समय अवधि के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए जिसे डिजाइन लाइफ कहा जाता है। डिजाइन जीवन वह अवधि है जिसके दौरान फुटपाथ परिकलित यातायात भार को बनाए रखने में सक्षम होगा और मिलियन मानक धुरी (एम. एस.ए.) की संचयी संख्या के संदर्भ में परिभाषित किया जा सकता है जिसे फुटपाथ की एक बड़ी मजबूती, पुनर्वास या क्षमता वृद्धि से पहले किया जा सकता है, आवश्यक है।

[173] *कमलादित्य कंस्ट्रक्शन प्रा। लिमिटेड*

[174] *आई.आर.सी. रू.37–2012, आईआरसी रू.81–1997 और आई.आर.सी. रू.64–1990*

पथ को 10–15 साल के डिजाइन जीवन के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए। यह यह भी प्रदान करता है कि यात्री कार यूनिट (पी.सी.यू.) सड़क के कैरिज मार्ग को तय करने के लिए एक मार्गदर्शक कारक है। 2000 पी.सी.यू./प्रति दिन, 6000 पी.सी.यू./प्रति दिन और मैदानी क्षेत्र में 15000 पी.सी.यू./प्रति दिन डिजाइन सर्विस वॉल्यूम सिंगल (3.75 मीटर), इंटरमीडिएट (5.5 मीटर) और डबल लेन रोड (7 मीटर) के निर्माण का सुझाव देगा।

कार्यकारी अभियंता (ई.ई.), रोड डिवीजन, शेरघाटी (मंडल) के अभिलेखों की जाँच (फरवरी 2020) में खुलासा हुआ कि–

- संभाग के तहत तीन[175] सड़कों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) तैयार की गई (जुलाई 2014) 15 साल के डिजाइन जीवन के साथ। इन सड़कों को सिंगल लेन रोड (चौड़ाई 3.75 मीटर) के रूप में बनाया गया था, जिसमें पाँच साल के रखरखाव अनुबंध को मार्च 2024 तक बढ़ाया गया था।
- सड़क निर्माण विभाग (आर.सी.डी.) द्वारा इन सड़कों की प्रशासनिक स्वीकृति (दिसंबर 2014) क्रमशः ₹48.84 करोड़, ₹21.84 करोड़ और ₹43.01 करोड़ (₹30.67 करोड़, ₹1.72 करोड़ और ₹6.26 करोड़) प्रदान की गई (दिसंबर 2014) क्रमशः एचएल ब्रिज कार्य, आकस्मिकता और मूल्य तटस्थता के लिए)।
- इन सड़कों का निर्माण संबंधित एजेंसियों द्वारा शुरू (सितंबर 2015 और अगस्त 2016) किया गया था, जब उन्होंने समझौते[176] किए थे और मार्च 2016 से अक्टूबर 2018 के बीच 56.51 करोड़ के खर्च[177] के साथ पूरा किया गया था।

फिर से, इन सड़कों को चौड़ा करने और मजबूत करने (5.5 मीटर चौड़ाई तक) के लिए ₹39.03 करोड़[178] मूल्य के समझौतों को पहले के काम के पूरा होने के तीन साल के भीतर (मार्च–अगस्त 2019) निष्पादित किया गया था। इसके अलावा, आरसीडी ने क्रमशः ₹19. 30 करोड़, ₹14.59 करोड़ और ₹31.30 करोड़ के कार्यों का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया (जुलाई 2018)। समझौते के मूल्य में डेंस ग्रेडेड बिटुमिनस मैकडैम (डीजीबीएम)/बिटुमिनस मैकडैम (बीएम), सेमी डेंस बिटुमिनस कंक्रीट (एसडीबीसी) और सीमेंट कंक्रीट फुटपाथ (सी.सी.पी.) प्रदान करने के लिए ₹13.73 करोड़ ***(परिशिष्ट–3.3)*** शामिल हैं। इन सड़कों की 3.75 मीटर चौड़ाई पहले से मौजूद है। इन सभी कार्यों को पूर्ण कर लिया गया (सितम्बर 2021) तथा ठेकेदारों को कार्य के डी.बी.एम., एस.डी.बी.सी. एवं सी.सी.पी. पर ₹6.85 करोड़ ***(परिशिष्ट–3.3)*** के भुगतान सहित ₹ 31.75 करोड़ का भुगतान (सितम्बर 2021) किया गया।

आगे यह भी देखा गया कि विभागीय निविदा समिति (जून 2019) द्वारा लिए गए निर्णय के संदर्भ में, आरसीडी ने केवल सड़क के चौड़ीकरण के लिए डी.जी.बी.एम. कार्य को सीमित करने का निर्देश दिया (मार्च 2020), क्योंकि सिंगल लेन सड़क का निर्माण

---

[175] *एक फुटपाथ में सड़क की विभिन्न परतें होती हैं यानी सब–ग्रेड, सब–बेस लेयर, एग्रीगेट इंटर–लेयर और बिटुमिनस लेयर।*

[176] i. *शिवगंज होते हुए धनगई बाजार से जीटी रोड तक का निर्माण सुधार,*
ii. बीबी पेसारा कुमाबा–भाद्या–लाडू रोड का निर्माण सुधार
iii. गया–परैया–गुरारू–कोइलवा मोर रोड का निर्माण सुधार

[177] *धनगई बाजार समझौता ₹17.33 करोड़ (सितंबर 2015), गया–परैया समझौता ₹30.75 करोड़ (अगस्त 2016), बीबी पेसरा से कुमाबा समझौता ₹16.39 करोड़ (अगस्त 2016)*

[178] *धनगई बाजार ₹14.08 करोड़ (मार्च 2016), गया परैया ₹29.97 करोड़ (अक्टूबर 2018), बीबी पेसरा कुमाबा ₹12.46 करोड़ (सितंबर 2018)*

पहले ही पूरा हो चुका था (2017) –2018) और गया–परैया–गुरारू–कोइलवा मोर रोड में उस चौड़ाई में डी.जी.बी.एम. का कार्य विधिवत रूप से निष्पादित किया गया था। तदनुसार, डी.जी.बी.एम. कार्य केवल चौड़ीकरण भाग तक सीमित था लेकिन एस.डी.बी.सी. और सी.सी.पी. कार्य पूर्ण भाग (5.50 मी) में निष्पादित किया गया था। चूंकि अन्य दो सड़कें समान प्रकृति की थीं और अनुरक्षण अनुबंध के अधीन भी थीं, डी.जी.बी.एम./बी.एम. कार्य केवल चौड़ीकरण भाग तक ही सीमित होना चाहिए था। लेकिन, डी.जी.बी.एम./बी.एम. इन दोनों सड़कों के हिस्से को मजबूत करने में एस.डी.बी.सी. और सी.सी.पी. के निष्पादन सहित दोनों सड़कों के हिस्से (3.75 मीटर) को मजबूत करने में निष्पादित किया गया था।

कार्यपालक अभियंता ने तथ्यों को स्वीकार किया और उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि डी.जी.बी.एम., एसडीबीसी और सीसीपी के संबंध में आवश्यक सुधार संशोधित अनुमान में किया जाएगा और तदनुसार कार्य का भुगतान किया जाएगा।

तथापि, इन सड़कों की भौतिक/वित्तीय प्रगति की स्थिति (सितम्बर 2021) दर्शाती है कि डी.जी.बी.एम./बीएम, एस.डी.बी.सी. और सी.सी.पी. पर तीनों सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर 6.85 करोड़ रुपये का व्यय पहले ही आरसीडी के निर्देशानुसार सरकार के निर्देशों के उल्लंघन में किया जा चुका है।

इस प्रकार, सड़क निर्माण विभाग द्वारा नवनिर्मित सड़क के हिस्से पर सुदृढ़ीकरण कार्य के निष्पादन से सरकार पर ₹6.85 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

मामला सरकार को सूचित किया गया (मार्च 2021) लेकिन, उत्तर अप्राप्त है (सितंबर 2021)।

शिक्षा विभाग

3.5 निष्क्रिय व्यय

विश्वविद्यालय में ई–क्लासरूम के विकास की अवधारणा हेतु अधिप्राप्त उपकरणों के गैर–अधिष्ठापन के कारण ₹1.43 करोड़ का निष्क्रिय व्यय।

कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय (का.सि.द.सं.वि.), दरभंगा ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (वि.अनु.आ.) को 11वीं योजना अवधि में अतिरिक्त सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय में सभी आधुनिक उपकरण युक्त कंप्यूटर जागरूकता वर्ग–कक्ष बनाने एवं हेतु ₹1.43 करोड़ की राशि का एक प्रस्ताव (मार्च 2011) में प्रस्तुत किया था। वि.अनु.आ. ने का.सि.द.सं.वि. को ₹1.80 करोड़ जारी किया (जुलाई 2012)।

का.सि.द.सं.वि. ने ई–लर्निंग/ई–क्लासरूम अवधारणा के विकास हेतु एक स्थानीय दैनिक में लघु निविदा सूचना प्रकाशित (अगस्त 2012) किया जिसमें तीन एजेंसियों[179] ने भाग लिया। कार्य एल–1 को सौंपा गया एवं ₹1.78 करोड़ की सामग्री आपूर्ति हेतु मेसर्स कॉग्निट सिमेन्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलौर को आपूर्ति आदेश (29 सितंबर 2012) निर्गत किया गया।

[179] *₹10.52 करोड़, ₹9.76 करोड़ और ₹18.75 करोड़ क्रमशः*

आपूर्तिकर्त्ता ने ₹1.20 करोड़ (30 सितंबर 2012) एवं ₹0.45 करोड़ (दिनांक शून्य) का बीजक प्रस्तुत किया। बीजक से संबंधित सामग्रियों को भंडार पंजी में क्रमशः 30 सितंबर 2012 तथा 09 मार्च 2013 को लिया गया। का.सि.द.सं.वि. ने इन दो बीजको के विरूद्व एजेंसी को ₹1.43 करोड[180] का भुगतान किया।

लेखा परीक्षा द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (अप्रैल 2021) किया गया और यह पाया गया कि भंडार से ₹4.10 लाख की तीन वस्तुएँ[181] गायब थी जबकि शेष वस्तुओं में से किसी का भी उपयोग/अधिष्ठापन नहीं किया गया था एवं ई–क्लासरूम/ई–लर्निंग की शुरूआत बिल्कुल नहीं की गयी थी।

का.सि.द.सं.वि. के अभिलेखों की संवीक्षा में निम्नलिखित अनियमितताएँ उजागर हुईः

- यद्यपि योजना की अनुमानित लागत एक करोड़ से अधिक थी, निविदा प्रमुख राष्ट्रीय दैनिक में विज्ञापित नहीं की गयी थी तथा एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित की गयी थी। आगे, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 150 के अंतर्गत निविदा जमा करने हेतु निर्धारित 21 दिनों के विरूद्ध केवल सात दिनों की अनुमति दी गई थी।
- का.सि.द.सं.वि. द्वारा अपेक्षित उपकरणों की विशिष्टताओं/विस्तृत जानकारी तथा फर्म द्वारा आपूर्ति की गई सामग्रियों का उल्लेख निविदा दस्तावेज या फर्म के बीजक में नहीं किया गया था। इस महत्वपूर्ण जानकारी के अभाव में का.सि.द.सं. वि. द्वारा खरीदे गए उपकरणों की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।
- का.सि.द.सं.वि. द्वारा बार–बार अनुरोध करने के बावजूद फर्म द्वारा उपकरणों का तकनीकी निरीक्षण कराने में विफल रहा। भंडार पंजी की प्रविष्टियों के अनुसार फर्म सामग्री की पहली खेप 30 सितंबर 2012 को एवं दूसरी खेप मार्च 2013 में उपलब्ध कराई थी। सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब का औचित्य अभिलेख में दर्ज नहीं पाया गया। फर्म की ओर से किसी गलतियों हेतु जुर्माने का प्रावधान नहीं पाया गया।
- ₹1.80 करोड़ के कुल अनुदान में से 2012–13 के दौरान ₹1.43 करोड़ का व्यय किया गया था। हालाँकि, वि.अनु.आ. को जनवरी 2018 में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था। उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार, अभिष्ट उद्देश्य हेतु व्यय किया गया था। हाँलांकि यह सत्य नहीं था क्योंकि ई–क्लासरूम का निर्माण नहीं किया गया था तथा इस प्रकार अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई थी।
- वि.अनु.आ. के संस्वीकृति पत्र के अनुसार, अनुदान से अर्जित ब्याज को अतिरिक्त अनुदान की तरह माना जा सकता है तथा इसे उपयोगिता प्रमाण पत्र में शामिल किया जा सकता है। यद्यपि, ₹0.37 करोड़ की शेष राशि का.सि.द.सं.वि. के पास लगभग 5 वर्षों (अप्रैल 2013 से दिसंबर 2017) से पड़ी थी, अर्जित ब्याज से संबधित विवरणी वि.अनु.आ. से छुपायी गयी एवं वि.अनु.आ. को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किया गया था।

---

[180] *₹97.52 लाख (नवंबर 2012) + ₹45.20 लाख (मार्च 2013) = ₹142.75 लाख*

[181] *संस्कृति इंस्ट्रूमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, पटना; साईबर फ्युचरिस्टिक्स (आई.) प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, कोग्निट सिमेन्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर।*

- ₹0.35 करोड़ के उपकरण गैर–संकाय सदस्यों को निर्गत किए गए थे तथा ₹1.07 करोड़ मूल्य की शेष वस्तुएँ निष्क्रिय पड़ी थी।
- क्रय के नौ वर्ष बाद उपकरण एवं सॉफ्टवेयर की उपयोगिता सूचना प्रौद्योगिकी की बदलती दुनिया में उपयोगी नहीं हो सकती है।

इस प्रकार, का.सि.द.सं.वि. में ई–लर्निंग क्लास रूम विकसित करने की अवधारणा ही विफल हो गई क्योंकि ₹1.43 करोड़ में क्रय किए गये उपकरण अप्रैल 2021 तक निष्क्रिय पड़े रहे।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (सितम्बर 2018) जिसमें उत्तरवर्ती अनुस्मारक (दिसम्बर 2020 तथा फरवरी 2021) भी शामिल थे। हालाँकि, कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2021)।

नगर विकास और आवास विभाग

3.6 संपत्ति कर की कम वसूली

नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा गुणनकारक की अधिसूचना न होने के कारण, पटना नगर निगम द्वारा ₹1.72 करोड़ के संपत्ति कर की कम राशि वसूली हुई।

बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (आकलन, संग्रहण एवं वसूली) नियम 2013 के नियम 4 के अनुसार संपत्तिकर निर्धारण के उद्देश्य से गैर–आवासीय जोत के वार्षिक किराया मूल्य पर गुणनकारक लागू होगा। तथापि, नियम 4 में प्रावधान शहरी विकास एवं आवास विभाग द्वारा यथा समय अलग से अधिसूचित की जानेवाली तिथि से प्रभावी किया जाना था।

इसके अतिरिक्त नियम 6(1) एवं 6 (2) के अनुसार प्रति वर्गफुट किराया मूल्य की दर नगरपालिका द्वारा समय–समय पर राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से स्थिति, उपयोग, प्रकार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जायेगी। निर्माण, जोतों का कब्जा, जोतों का गैर–आवासीय उपयोग, या भविष्य में नगरपालिका द्वारा तय किए गए किसी अन्य कारक (ओं) का प्रकार। वार्षिक रेंटल वैल्यू (ए.आर.वी.)[182] की गणना कारपेट एरिया के गुणक के रूप में की जाएगी, ऊपर उप–नियम (1) के तहत तय प्रति वर्गफुट / वर्गमीटर का किराया मूल्य, नियम 3 (डी) के अनुसार अधिभोग कारक और लागू गुणककारक नियम 4 के अनुसार संपत्ति के गैर–आवासीय उपयोग के प्रकार के लिए विभाग ने नियम 4 के संबंधित प्रावधान को आवश्यकतानुसार अलग से अधिसूचित नहीं किया।

2017–19 की अवधि के लिए पटना नगर निगम (पी.एम.सी.) के अभिलेखों की नमूना–जाँच (सितंबर 2019) से पता चला कि गैर–संबंधों से संबंधित 91 नमूना–जाँच किए गए मामलों के संबंध में आवासीय जोत से संबंधित वार्षिक किराया मूल्य (ए.आर.वी.) की गणना में गुणनकारक लागू नहीं किया गया था। एआरवी के निर्धारण में गुणनकारक के लागू न होने के कारण, निगम ₹171.96 लाख की वसूली नहीं कर सका, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

[182] *ए.आर.वी = कारपेट एरिया xरेंटल वैल्यू x ऑक्यूपेंसी फैक्टर (1 या 1.5 जैसा भी मामला हो) x गुणक कारक (नियम 4 के अनुसार लागू)।*

अंचल का नाम	कुल पीआईडी की नमूना जाँच की गई	राशि
कंकडबाग	52	36,31,426
नूतन राजधानी	32	1,18,31,500
बांकीपुर	7	17,33,856
कुल	**91**	**1,71,96,782**

यह भी देखा गया कि आयुक्त, पीएमसी ने पहले ही विभाग से (जुलाई 2019) निर्धारित प्रावधान के आलोक में गुणन कारक को अधिसूचित करने का अनुरोध किया था, लेकिन विभाग से कोई जवाब लेखापरीक्षा की तिथि तक पीएमसी के अभिलेखों में नहीं पाया गया था। पुनः मामले पर आयुक्त, पी.एम.सी. से चर्चा की गई (फरवरी 2021), लेकिन लेखापरीक्षा को कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

इस प्रकार, विभाग द्वारा गुणन कारक से संबंधित प्रावधान की गैर–अधिसूचना के कारण, पीएमसी ₹1.72 करोड़ के संपत्ति कर की वसूली करने में सक्षम नहीं था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित (मार्च 2021) किया गया था, परन्तु उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2021)।

निर्वाचन विभाग

3.7 असमायोजित अग्रिम

बिहार कोषागार संहिता के प्रावधानों के गैर–अनुपालन करने तथा जिला निर्वाचन कार्यालय के प्राधिकारियों के लापरवाही के परिणामस्वरूप एक से 36 वर्षों के बीच की अवधि के लिए 4388 व्यक्तियों के विरुद्ध ₹15.19 करोड़ के असमायोजित अग्रिमो का संचय हुआ।

बिहार कोषागार संहिता (बि.को.सं.) 2011 के नियम 317 में यह प्रावधान है कि विभागीय व्यय हेतु लिये गये अग्रिम के मामलो में, जो अंततः निजी मालिकों या अन्य पक्षो से वसूलनीय है, ऐसे अग्रिमों के विस्तृत लेखों के संधारण का कार्य या उनके वसूलियों की निगरानी तथा उनके पर्यवेक्षण इत्यादि का दायित्व संबंधित विभागीय अधिकारियों के पास रहेगा।

इसके अलावा, नियम 314 (ग) (i) पूर्वोक्त नियम 318 के साथ पठित यह प्रावधान करता है कि इन अग्रिमों का संवितरण करने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी को अंतिम अग्रिम से पूर्व में संवितरित राशियों के लिये विस्तृत विपत्र लेखा को प्रस्तुत किये बिना दूसरा अग्रिम आहरित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अनुगामी छः जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (जि.नि.प.) के अभिलेखों की जाँच में खुलासा हुआ (मार्च 2020) कि विभिन्न चुनाव उद्देश्यों के लिए चुनाव कोष से 4388 व्यक्तियों को अग्रिम के रुप में ₹15.19 करोड की राशि दी गई थी, जिसकी चर्चा नीचे तालिका में की गई है:

तालिका संख्या–3.7.1
निर्वाचन निधि से जिलावार असमायोजित अग्रिम

क्रम संख्या	जिला	अग्रिम के लिए	व्यक्तियों की संख्या	संलिप्त राशि (लाख में)
1	पटना	यात्रा अग्रिम, वाहन मुआवजा, ईंधन आपूर्त्ति टेंट, होमगार्ड, वाहन चालको, संर्किट हाउस मरम्मती इत्यादि	855	537.19
2	मुजफ्फरपुर		273	239.26
3	भागलपुर		1287	329.12
4	बेगुसराय		1003	155.71
5	सुपौल		249	47.48
6	किशनगंज		721	209.98
	कुल		**4388**	**1518.74**

एक से 36 वर्षों के बीच की अवधि के लिए लंबित अग्रिमों की विवरण (एक व्यक्ति के विरूद्ध ₹ 33.15 लाख तक) निम्नलिखित **तालिका 3.7.2** के नीचे है:

तालिका संख्या–3.7.2
असमायोजित रहे अग्रिमों की राशि

क्रम संख्या	जिला	असमायोजित अग्रिम				सरकारी कर्मी को छोड़कर	
		पाँच वर्षों तक		पाँच से 36 वर्ष			
		व्यक्तियों की संख्या	राशि	व्यक्तियों की संख्या	राशि	व्यक्तियों की संख्या	राशि
1	पटना	67	76.85	788	460.34	272	266.10
2	मुजफ्फरपुर	41	144.09	232	95.17	13	13.75
3	भागलपुर	47	38.77	1240	290.35	300	48.27
4	बेगुसराय	7	32.66	996	123.05	250	48.41
5	सुपौल	31	5.59	218	41.89	72	26.28
6	किशनगंज	49	129.01	672	80.97	282	37.21
	कुल	**242**	**426.97**	**4146**	**1091.77**	**1189**	**440.02**

सरकारी कर्मचारी को छोड़कर व्यक्तियों से लंबित अग्रिमों की वसूली की संभावना थोड़ी सी थी क्योंकि उसे अग्रिमों के लिए कोई प्रतिभूति सुरक्षा नहीं ली गई थी।

अवलोकन किए गए विभिन्न बिन्दुएं नीचे इस प्रकार हैं

- 724 व्यक्ति या तो मृत, स्थानांतरित, सेवानिवृत एवं लापता थे और उनके विरूद्ध बकाया ₹ 61.99 लाख की राशि के समायोजन/वसूली की संभावना नगण्य थी। इनमें से, 292 व्यक्ति सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य थे, जिनके विरूद्ध ₹ 7.22 लाख का अग्रिम शेष था।
- 292 व्यक्तियों को प्रथम अग्रिम ₹142.29 लाख के समायोजन/वसूली के बिना ₹456.13 लाख का दूसरा/अनुवर्ती अग्रिम दिया गया। इनमें से 76 व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं थे, जिनके विरूद्ध समायोजन/वसूली के लिए ₹194.21 लाख का अग्रिम लंबित था।
- विगत पाँच वर्षों में जि.नि.प. सुपौल एवं किशनगंज ने ₹294.37 लाख (पहले की अवधि के अग्रिम सहित) और ₹1.40 लाख को क्रमशः ₹285.36 लाख और ₹130.41 लाख के बकाया अग्रिमों के विरुद्ध समायोजित किया, जबकि शेष चार[183] जिलों ने किसी भी राशि को समायोजित नहीं किया।
- पाँच जिलों में रोकड़ बही को समय पर अद्यतन नहीं किया गया, जो बि.को.सं. के प्रावधानों के विरुद्ध है।

जि.नि.प., बेगूसराय, भागलपुर (अप्रैल 2021) और किशनगंज (मार्च 2021) ने उत्तर दिया कि चुनाव कार्य की महत्ता को देखते हुए अनुवर्ती अग्रिम दिए गए एवं समायोजन हेतु उचित कार्रवाई की जाएगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। जि.नि.प. सुपौल (फरवरी 2021) और मुजफ्फरपुर (सितंबर 2020) ने उत्तर दिया कि बकाया राशि के समायोजन के लिए दोषी अधिकारियों/अग्रिम धारकों को पत्र/नोटिस जारी किए गए थे और स्मार पत्र जारी किये जायगे। जि.नि.प. पटना ने उत्तर दिया (दिसंबर 2020) कि रोकड़ बही एवं अग्रिम पंजी की अंतर राशि के संबंध में सत्यापन किया जा रहा है और लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

[183] *पटना, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय एवं भागलपुर*

उत्तर तर्कसंगत नहीं थे, क्योंकि जिला निर्वाचन पदाधिकारियों ने इतनी लंबी अवधि के लिए असमायोजित पड़ी हुई अग्रिमों की बड़ी राशि के गैर–समायोजन के संबंध में समूचित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। यहाँ तक कि अनुवर्ती अग्रिम जो चुनाव कार्य की महत्ता का हवाला देते हुए पूर्व में दिए गए थे, पाँच वर्ष से 30 वर्ष के बीत जाने के बाद भी असमायोजित रहे।

इस प्रकार, बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता और जिला निर्वाचन कार्यालयों के अधिकारियों की निष्क्रियता के परिणामस्वरुप एक से 36 वर्षों के बीच की अवधि के लिए 4388 व्यक्तियों के विरुद्ध ₹ 15.19 करोड़ की असमायोजित अग्रिम का संचय हुआ। पूर्व अग्रिमों के समय पर समायोजन के अभाव में, सरकारी धन के दुरुपयोग और दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। सरकार के नियम प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद अग्रिमों को समायोजित या बट्टे खाते मे डालना चाहिए। यह कहना उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अग्रिम केवल छः जिलों के नमूना–जाँच से संबंधित है और यदि राज्य स्तर पर जाँच की जाती, तो राशि बहुत अधिक हो सकती थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2021), लेकिन उत्तर अभी तक अप्राप्त है।